

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
एफ-17, कडकडडूमा, दिल्ली सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, 28/03/2016 को अधिसूचित किया है।

आम जनता, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोग एवं दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पताल, डिस्पेंसरियों का वैधानिक दायित्व है कि वह जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट <http://health.delhigovt.nic.in/> को देख सकते हैं।

महानिदेशक
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनया से बचाव हेतु इधर-उधर पानी न इकट्ठा न होने दें और पानी के बर्तन ढंक कर रखें।

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
F-17, KARKARDOOMA, DELHI-32.**

Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified Bio Medical Waste Management Rules, 2016 on 28/3/2016. General Public, Occupier of Health Care Facilities , Delhi Government Hospitals/Dispensaries are hereby informed to follow the Bio Medical Waste Management Rules, 2016 as proper Bio Medical Waste Management is the Statutory responsibility of all individuals/hospitals /Health Care Facilities.

For more details, please visit the Directorate General of Health Services Website www.health.delhigovt.nic.in

**Director General Health Services
Directorate General of Health Services**

To prevent Dengue, Malaria and Chikungunya, avoid water stagnation and always cover water tank and container.